<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 45/2020 **दायर दिनांकः 03/03/2020**

उनवान

1 हीरा लाल उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री मदन सिंह जाति राजपूत निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0 एक्ट0</u>

उपस्थितिः–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 15/03 /2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल अटरू तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता स0 645 की ख0 नं0 1106, 1107, 1188, 1552, 2065/544, 2066/543, 542, की कुल 7 किता का रकबा 3.61 है0 आराजी दर्ज खाता चली आ रही है। जमाबंदी संवत 2071 से 2074 की नकल वाद पत्र में साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। उक्त भूमि का खाते दर्ज होते वक्त सहवन से वादी का नाम उक्त जमाबन्दी में हिरा लाल के स्थान पर हीरासिंह दर्ज कर दिया जबकि उसका सही नाम हीरा लाल था। वादी का सही नाम हीरालाल है फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में वादी का नाम हीरा लाल ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हीरा सिंह है। फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड एवं राशन कार्ड दस्तावेजों में [illegible] का नाम हिरा लाल दर्ज है जमाबन्दी में वादी का नाम हीरा सिंह होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैंक आदि से ऋण प्राप्त नही कर सकता है। किसी की जमानत आदि देने में भी असमर्थ है। वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हीरा सिंह के स्थान पर हिरा लाल दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:46 IST
Reason: SelfAttested

साफ मना कर दिया और माननीय न्यायालय में दावा पेश करने की हिदायत दी है। बिना सहायता न्यायालय वादी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम हीरा सिंह के स्थान पर हिरा लाल दर्ज नही करा सकेगा जिससे वादी को अनेकानेक परेशानीयों का सामना करना पडेगा। ऋण आदि प्राप्त नही कर सकेगा जिससे आर्थिक रूप से पिछड जायेगा। इस कारण वादी इस आशय की घोषणा करा पाने का अधिकारी है कि उसका नाम हीरा सिंह के स्थान पर हिरा लाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हिरा लाल उर्फ हीरा सिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद घोषण नाम संशोधन का होने से श्री मान तहसीलदार साहब अटरू का प्रतिवादी बनाया जाकर यह वाद पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम हीरा सिंह दर्ज होने एवं वादी द्वारा प्रतिवादी से हीरा सिंह के स्थान पर हिरा लाल करने का निवेदन करने एवं उनके द्वारा दिनांक 30/01/2020 को साफ मना करने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त रिकार्ड एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पैश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर परमाई जावेः–

(अ)– राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम हीरा सिंह के स्थान पर हिरा लाल घोषित किया जाकर जमाबन्दी मे हीरा सिंह के स्थान पर हिरा लाल दर्ज किया जावे विकल्प मे निवेदन है कि हीरा सिंह के स्थान पर हीरा सिंह उर्फ हिरा लाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब)– अन्य न्यायाचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:46 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 के बयान लेखबद्ध किये, तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि वादी का नाम हीरा सिंह के स्थान पर हीरा लाल दर्ज किया जावे तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, पेंशन आदेश में वादी का नाम हीरालाल पुत्र मदन सिंह दर्ज है ,तथा कार्यालय ग्राम पंचायत अटरू का प्रमाण पत्र 12.03.2021 में हीरालाल व हीरा सिंह दानों नामों का एक ही व्यक्ति है।

रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादी का सही नाम हीरा लाल पुत्र मदन सिंह है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल अटरू तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता स0 645 की ख0 नं0 1106, 1107, 1188, 1552, 2065/544, 2066/543, 542, की कुल 7 किता का रकबा 3.61 है0 में खातेदार हीरा सिंह पुत्र मदन सिंह के स्थान पर हीरा सिंह उर्फ हीरा लाल पुत्र मदन सिंह दर्ज किये जाने आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 45/2020

उनवान

1 हीरा लाल उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री मदन सिंह जाति राजपूत निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल अटरू तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता स0 645 की ख0 नं0 1106, 1107, 1188, 1552, 2065/544, 2066/543, 542, की कुल 7 किता का रकबा 3.61 है0 में खातेदार हीरा सिंह पुत्र मदन सिंह के स्थान पर हीरा सिंह उर्फ हीरा लाल पुत्र मदन सिंह दर्ज किये जाने आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15.03.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	[illegible]जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:46 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)